

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 623/11-सी-FP/UP/Trans/22022/2016 ,लखनऊ: दिनांक: अगस्त 3, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झाँसी।

विषय:- पावर ग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि० झाँसी द्वारा 765 के०वी० द्विपक्षीय लिलो सतना-ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झाँसी वन प्रभाग में 0.1742 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/04/29/2017/एफ०सी०/61, दिनांक-28.06.2017 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं०-2767/11-सी-FP/UP/Trans/22022/2016 दिनांक-30.06.2017

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में की गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अभी तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना संभव नहीं है। अतः भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में की गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण के पश्चात् पूर्ण समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
02 3/18
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी-FP/UP/Trans/22022/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एवं जालौन स्थान-उरई।
2. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, झाँसी।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।